

कम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
राजस्व आवेदन संख्या 251/2025 अनवान जोगाराम बनाम अचलाराम  
वगीराह

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

### आदेश

3/10/2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपरिथत। अप्रार्थीगण इकतरफा। वकील प्रार्थी की वहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा सांईयो का तला पटवार क्षेत्र सांईयो का तला तहसील वाटाडू जिला वाडमेर के खसरा संख्या 1671 रकवा 10.0154 हैक्टेयर, भूमि के अभिलिखित खातेदारी हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमवन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात् पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमवन्दी करवाना चाहते हैं, जो उचित प्रतीत होता है।

अतः मौजा सांईयो का तला पटवार क्षेत्र सांईयो का तला तहसील वाटाडू जिला वाडमेर के खसरा संख्या 1671 रकवा 10.0154 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमवन्दी करने हेतु तहसीलदार वाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बावत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जाएगी। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फौसल-शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।



उप खण्ड अधिकारी  
वाडमेर